



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 263

संवाद-44

दिनांक/Date: 19.07.2020

सहा0अध्यापक(एल0टी0), ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।


उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र, ईमेल व सूचना के अधिकार के अंतर्गत सहा0 अध्यापक(एल0टी0), ग्राम पंचायत विकास अधिकारी(वी0पी0डी0ओ0) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी(वी0डी0ओ0) के पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाने से संबंधित पृच्छायें प्राप्त हो रही है। उक्त तीनों पदों हेतु स्थिति निम्नानुसार है :-

सहा0 अध्यापक(एल0टी0) के पदों के संबंध में अवगत कराना है कि नियोक्ता विभाग द्वारा आयोग को गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल के सहा0 अध्यापक के पदों का अधियायन प्रेषित किया गया था इस बीच श्री राजेश धामी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन अधियाचनों के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिये गये थे इसके साथ ही विभाग द्वारा इनमें से कुछ पदों के सेवानियमों में संशोधन किये गये है। आयोग की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा नये सेवानियमों के अनुरूप संशोधित अधियाचन भेजने का अनुरोध नियोक्ता विभाग से किया गया है। वर्तमान तक कुमाऊं मंडल से अधियायन प्राप्त हुआ है गढ़वाल मंडल से अधियाचन प्राप्त होना शेष है। दोनों नियोक्ताओं से अधियाचन प्राप्त होने के उपरांत आयोग स्तर पर विज्ञापन तैयार करने हेतु कार्यवाही की जायगी।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी स्नातक शैक्षिक अर्हता का पद है व इसे अन्य समान शैक्षिक अर्हता वाले पदों के साथ क्लब करके विज्ञापन तैयार किया जाना है। वर्तमान में नियोक्ता विभाग द्वारा कुछ पदों को कम करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। इस विषय पर स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद इसे संयुक्त विज्ञापन में प्रकाशित किया जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी के पदों का अधियाचन पूर्व में आयोग को प्राप्त हुआ था। इस अधियाचन में पदों का जिलावार विवरण न होने तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर नियोक्ता विभाग से स्पष्ट जानकारी का अनुरोध किया गया है। उसके बाद नियोक्ता विभाग द्वारा इस पद की सेवानियमों में भी संशोधन का निर्णय लिया गया। वर्तमान तक संशोधित सेवानियमों के अनुरूप नियोक्ता विभाग से संशोधित अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। संशोधित अधियाचन प्राप्त होने के उपरांत ही इन पदों के समकक्ष पदों के साथ विज्ञापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

यह भी स्पष्ट करना है कि विज्ञापन जारी करने के पूर्व अधियाचन के सभी बिंदुओं पर नियोक्ता से स्थिति स्पष्ट कराना तथा विभिन्न बिंदुओं पर पत्राचार करना एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे यथासम्भव त्रुटि रहित व स्पष्ट विज्ञापन प्रकाशित हो सके।


(संतोष बडोनी)
सचिव

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता